न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कठूमर (अलवर)

पीठासीन अधिकारीः— श्री श्याम सुन्दर चेतीवाल (आर ए एस)

राजस्व वाद संख्याः— 2/29/2022 दायर दिनांकः—01/02/2022

जीसीएमएस नं0:— 2022/57 निर्णय दिनांकः— 21/08/2025

वउनवान

1. केलादेवी पुत्री खुनखुन जाति जाटव निवासी खेडामैदा
2. दीपचन्द पुत्र खुनखुन जाति जाटव निवासी खेडामैदा
3. प्रहलाद पुत्र खुनखुन खुनखुन जाति जाटव निवासी खेडामैदा
4. भगवानसिंह पुत्र मदन मदन जाति जाटव निवासी खेडामैदा
5. भागचन्द पुत्र मदन मदन जाति जाटव निवासी खेडामैदा
6. विमला पुत्री मदन मदन जाति जाटव निवासी खेडामैदा
7. राधेश्याम पुत्र कन्हैंया खुनखुन जाति जाटव निवासी खेडामैदा

तहसील कठूमर जिला अलवर

सायलान

बनाम

1. हरवीर पुत्र हरचन्दी जाति जाटव निवासी खेडामैदा
2. बलवीर पुत्र हरचन्दी जाति जाटव निवासी खेडामैदा
3. दुर्बला पुत्र हरचन्दी जाति जाटव निवासी खेडामैदा
4. सन्तोकी पुत्र हरचन्दी जाति जाटव निवासी खेडामैदा

तहसील कठूमर जिला अलवर

5. उप पंजीयक कठूमर तहसील कठूमर जिला अलवर

गैरसायलान

प्रार्थना—पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955

उपस्थितः—श्री महेन्द्रसिंह कपासिया —अधिवक्ता सायलान

श्री रामजीलाल शर्मा — अधिवक्ता गैरसायलान

उपखण्ड अधिकारी
कठूमर (अलवर) राज०

–::निर्णय::–

सायलान द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार से है कि आराजी खसरा नम्बर 1158 रकवा 0.70 हे0 1158/1216 रकवा 0.06 हे0 1159 रकवा 0.86 हे0 ग्राम सुण्डियाना तहसील कठूमर में स्थित है। उक्त आराजी राजस्व रेकार्ड में हिस्सा के अनुसार सायलान एंव गैरसायलान की शामलात खातेदारी में दर्ज है। उक्त विवादित आराजी पर सायलान एंव गैरसायलान शामलात में काविज रहकर काश्त कर रहे है। सायलान का विवादित आराजी में मुताविक हिस्सा कब्जा है। सायलान एंव गैरसायलान के मध्य आपस में सम्बन्ध खराब हो गये है मनमुटाव हो गया है जिस कारण अव सायलान एंव गैरसायलान के मध्य विवदित आराजी पर शामलात में काश्त करना संभव नहीं है। सायलान ने गैरसायलान से विबादित आराजी के कानूनी तकासमा वावत कहा तो गैरसायलान ने साफ इन्कार कर दिया। विवादित आराजी राजस्व रेंकार्ड में शामलात खातेदारी में दर्ज है गैरसायलान ने सायलान को धमकी दी है कि हम विवादित आराजी का राजी खुसी तकासमा नहीं करायेगें और तुम्हें विवादित आराजी पर तुम्हारे हिस्से पर शामलात में काश्त नही करने देगें तथा विवादित आराजी का कानूनी तकासमा कराये विना ही गैरसायल सं0 5 से मिलकर दीगर लोगों को रहन वय कर देगें जवकि गैरसायलान को ऐसा करने का कोई हक व अधिकार नहीं है यदि गैरसायलान अपने नापाक ईरादों में कामयाव हो गये तो सायलान तवाह एंव वर्वाद हो जावेगे। दीगर मुकदमा बाजी वढेगी जिससे सायलान को अपार हानि होगी जिसकी पूर्ति पैसों में संभव नहीं है। अतः सायलान ने प्रार्थना पत्र स्वीकार कर गैरसायलान को ता फैसला दावा पाबन्द कराने का निवेदन किया है।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर की जाकर गैरसायलान को जरिये नोटिस तलब किया गया।

उपखण्ड अधिकारी
कठूमर (अलवर) राज०

गैरसायल सं0 1 ला0 4 ने जवाब प्रार्थना पत्र पेश कर कथन किया कि विवादित आराजी ग्राम सुण्डियाना तहसील कठूमर में स्थित है जो आराजी विवादित आराजी नहीं है। सायलान का विवादित आराजी से किसी तरह का सम्बन्ध व सरोकार नहीं है। केवल राजस्व रिकार्ड में गलत इन्द्राज के आधार पर खातेदारी दर्ज है जिस गलत इन्द्राज को दुरूस्त कराने वावत गैरसायलान ने एक वाद हरवीर बनाम राधेश्याम के नाम से माननीय न्यायालय में पेश कर रखा है। जिसमें सायलान उपस्थित हो चुके है तनकी कायम हो चुकी है। पत्रावली साक्ष्य वादी में चल रही है जिन तथ्यों का सायलान को बखूवी ईल्म है। सायलान ने तथ्यों को छुपाकर प्रार्थना पत्र पेश किया है। सायलान नाकाविज है गलत इन्द्राज के आधार पर सायलान तकसीम कराने के अधिकारी नहीं है और ना ही स्टे प्रार्थना पत्र लाने का अधिकारी है। जव सायलान का विवादित आराजी पर कब्जा ही नहीं है तो काश्त सम्बन्धी बातों को लेकर छोटी छोटी बातों पर मनमुटाव में व्यवधान करने वाली बात स्वतः ही गलत सावित हो जाती है। सायलान गैरसायलान को स्टे आदेश से पाबन्द कराने के अधिकारी नहीं है। मौके पर कोई विवाद नही है सायलान को किसी तरह का नुकशान व क्षति नहीं होती है। गैरसायलान ने सायलान का प्रार्थना पत्र खारिज किये जाने का निवेदन किया है।

सायलान ने अपने प्रार्थना पत्र के समर्थन में नकल जमाबन्दी संवत् 2074 से 2077 वाके ग्राम सुण्डियाना की छाया प्रति पेश की है। जो शामिल पत्रावली है।

सायलान को प्रार्थना पत्र में सफलता प्राप्त करने के लिये निम्न तीन विन्दुओं को अपने पक्ष में सावित करना है –

1. **प्रथम दृष्टा केस**
2. **सुविधा का सन्तुलन**
3. **ना पूर्ति होने वाली क्षति**

विद्वान अधिवक्ता सायलान ने अपनी बहस में मुख्य रूप से अपने प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को ही दोहराते हुये कथन किया कि विवादित आराजी

उपखण्ड अधिकारी
(अलवर) राज०

है जिसका मूल वाद के निस्तारण तक मूल स्वरूप को बनाये रखना जरूरी प्रतीत होता है यदि गैरसायलान को पाबन्द नहीं किया गया तो गैरसायलान सायलान के कब्जे काश्त में बाधा पैदा कर सकते है तथा रहन वय कर सकते है। जिससे सायलान को नुकशान होने का अनुमान किया जाता है। अतः प्रथम दृष्टा केस सायलान के पक्ष में सावित होता है।

2. सुविधा का सन्तुलनः– सायलान द्वारा प्रस्तुत जमाबन्दी में विवादित आराजी सायलान एंव गैरसायलान की खातेदारी में दर्ज है। गैरसायलान का कथन कि उक्त आराजी सायलान की गलत खातेदारी में दर्ज है जो तथ्य मूल वाद के निस्तारण के समय तय किये जायेगें यदि गैरसायलान को पाबन्द नहीं किया गया गैरसायलान विवादित आराजी को खुर्द बुर्द कर सकते है जिससे सायलान को असुविधा होना संभव है। अतः सुविधा का सन्तुलन भी सायलान के पक्ष में प्रतीत होता है।

3. ना पूर्ति होने वाली क्षतिः–विवादित आराजी सायलान एंव गैरसायलान की खातेदारी में दर्ज है। सायलान विवादित आराजी की खातेदार काश्तकार है विवादित आराजी का अवट होने व शामलात में काश्त करने का अनुमान किया जाता है। यदि गैरसायलान ने सायलान के कब्जे काश्त में बाधा पैदा की या विना तकासमा रहन वय कर दिया तो ना पूर्ति होने वाली क्षति सायलान को होना संभव है व वाद बहुलता बढेगी। अतः ना पूर्ति होने वाली क्षति भी सायलान के पक्ष में प्रतीत होती है।

उपरोक्त तीनों बिन्दु सायल के पक्ष में बखुवी सावित है। प्रार्थी का प्रार्थना–पत्र साबित होने के कारण स्वीकार किये जाने योग्य प्रतित होता है।

–:आदेशः–

उपरोक्त विवेचन से प्रथम दृष्टा केस सुविधा का सन्तुलन एंव ना पूर्ति होने वाली क्षति तीनों विन्दु सायलान के पक्ष में सावित हैं। अतः प्रार्थना पत्र सायलान स्वीकार किया जाकर गैरसायलान को ता फैसला दावा अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि वो आराजी खसरा नम्बर 1158 रकवा 0.70 हे0 1158/1216 रकवा 0.06 हे0 1159 रकवा 0.86 हे0 ग्राम सुण्डियाना तहसील कठूमर के

उपखण्ड अधिकारी
कठूमर (अलवर) राज०

रिकार्ड एंव मौका की यथास्थिति बनाये रखें तथा पत्रावली पर जारी स्टे आदेश दिनांक 01.02.2022 को मूल दावा के निस्तारण तक कनफर्म किया जाता है। प्रार्थना पत्र फैसल सुमार होकर नम्बर से कम हो वो मूल वाद के साथ संलग्न हो।

निर्णय आज दिनांक 14.07.2025 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे–इजलास सुनाया गया।

श्याम सुन्दर चेतीवाल (आर.ए.एस)
उपखण्ड अधिकारी कठूमर, अलवर